राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2103/2011/उदयपुर

मैसर्स जितेन्द्र पाल सिंह चुण्डावत, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :20.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 13.06.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है जो अपील संख्या 141/वैट/2010–11 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा अधिनियम की धारा 77(5) के तहत् पारित आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आलोच्य अवधि का ठेका अवधि का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 77 के तहत् दिनांक 06.07.2010 को आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ रिकॉर्ड की पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने का कथन कर, तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रसीद बुक प्रस्तुत किये जाने के अभाव में जो कर राशि कायम की गयी है वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित किये जाने के

लगातार.....2

संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 का उल्लंघन है । कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधि में गिट्टी, ब्लास्ट, मोरम, बिल्डिंग स्टोन, स्टोन डस्ट व खण्डा का ठेका आवंटित हुआ था जिनकी दरें भिन्न–भिन्न थीं अतः ऐसी स्थिति उक्त समस्त वस्तुओं की दर रू. 168/– निर्धारित कर, कर कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि दिनांक 08.07.2009 से कर की दरें कम की गयी एवम् उक्त आधार पर ही अनुमानित वार्षिक कर राशि भी कम घोषित की गयी परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 06.07.2009 से दिनांक 12.07.2009 की अवधि में पुरानी दरें आरोपित की गयी जबकि उक्त अवधि में कम अर्थात् नयी दरें ही आरोपणीय थीं। विशिष्ट रूप से कथन किया कि नियम 44(i) के तहत् अनुमानित वार्षिक कर राशि से अधिक राशि आरोपणीय नहीं है । अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2013 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2011 के द्वारा प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 13.06.2011 का निस्तारण कर दिया है। अतः प्रकरण के निस्तारित हो जाने के कारण, विवादाधीन प्रकरण में अपीलीय आदेश दिनांक 13.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

लगातार.....3

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

(v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊंझा फार्मेसी, उदयपुर अपील संख्या 2052/2005/उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में कथन किया कि प्रस्तुत अपील "सारहीन" (INFRUCTUOUS) नहीं हुयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है :–

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स 119 एस.टी.सी. 376 । (राज.)

2. वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली 25 आर.टी.जे.एस.79। (आर.टी.टी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपील को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, उपर्युक्तानुसार दिये गये तर्कों के आधार पर गुणावगुणों पर निर्णित करने की पुनः प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय से पूर्ण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति पर निर्णय किया जाना आवश्यक है । इस संबध में रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध में प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मतानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर. टी.टी.) तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय 38 टैक्स वर्ल्ड 16 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में, आदेश दिनांक 03.06.2013 पारित किये जाने के फलस्वरूप, प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर,

लगातार.....4

गुणावगुण के बिन्दु पर विचार किये बिना ही उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर, प्रस्तुत अपील सारहीन घोषित कर, अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

20.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य